राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ.4(ई)(1)(6)/नियुक्ति/अलेसे–III/पार्ट–IV/5863 to 5871 जयपुर दिनांक : 10/08/2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा–2013 के अन्तर्गत श्री गोविन्द नारायण मेठी, रोल नम्बर 901642, मेरिट नम्बर 3227–ए (Gen.Me) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर अवमानना याचिका संख्या 782/2018 गोविन्द नारायण मेठी बनाम गिरिराज सिंह कुशवाह (अन्तर्गत एस.बी.सि. रिट याचिका संख्या 3217/2017 अन्तरिम आदेश दिनांक 12.07.2017) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 25.03.2019 के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 7(38) परीक्षा 'ख' क0ले0/2012–13/72 दिनांक 02.05.2019 के द्वारा श्री मेठी को कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति हेतु सशर्त अभिस्तावना इस विभाग को प्रेषित की गई थी। आयोग से प्राप्त उक्त अभिशंषा के अनुसरण में श्री मेठी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर अवमानना याचिका संख्या 782/2018 में माननीय न्यायालय के द्वारा पारित किए जाने वाले विपरित आदेश से बचने के लिये श्री मेठी को विभागीय आदेश संख्या 438/2019–20 दिनांक 11.07.2019 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में अस्थाई (प्रोविजनल) नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की गई थी कि उक्त नियुक्ति श्री मेठी द्वारा दायर एस.बी.सि. रिट याचिका संख्या 3217/2017 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। उक्त आदेश अनुसार इनका पदस्थापन कार्यालय राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम, जयपुर में किया गया। जहां पर श्री मेठी द्वारा दिनांक 11.07.2019 को कार्यग्रहण किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 3217/2017 में दिनांक 16.09.2019 को आदेश पारित कर उक्त याचिका को निष्प्रभावी मानते हुए खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 386/2019 प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2020 को निम्न आदेश पारित करते हुए उक्त विविध याचिका को खारिज कर दिया गया :–

"This court is of the firm view that if the writ petition is dismissed, then all interim order has been merged with the dismissal order and the same was also dismissed. Hence, no recalling of the order is required.

The misc. application is accordingly dismissed."

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक 7(38) परीक्षा 'ख' क0 ले0/ 2012–13/550 दिनांक 13.03.2020 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 03.02.2020 के क्रम में विधिक राय के आधार पर याचिकार्थी श्री गोविन्द नारायण मेठी की अभिस्तावना को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के द्वारा प्रत्याहरित कर लिया गया एवं याचिकार्थी की अभिस्तावना मय विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को लौटाने का अनुरोध किया गया।

अतः राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के उक्त पत्र दिनांक 13.03.2020 के क्रम में वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग से प्राप्त अभिमत (आई.डी. संख्या 252000733 दिनांक 02.07.2020) के अनुसार याची श्री गोविन्द नारायण मेठी को दी गई सशर्त नियुक्ति के आदेश संख्या 438/2019–20 दिनांक 11.07.2019 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है एवं उनको निदेशालय स्तर से कनिष्ठ लेखाकार के पद से तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है, साथ ही श्री मेठी की कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति हेतु की गई आयोग की अभिस्तावना (मय मूल विस्तृत आवेदन–पत्र सहित) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को लौटाई जाती है।

श्री गोविन्द नारायण मेठी का भविष्य में इस विभाग में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कोई पदाधिकार (लियन) नही रहेगा।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः एफ.4(ई)(1)(6)/नियुक्ति/अलेसे–III/पार्ट–IV/5863 to 5871 जयपुर दिनांक : 10/08/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (305001) को उनके पत्र क्रमांक 550 दिनांक 13.03.2020 के क्रम में श्री मेठी की अभिस्तावना एवं मूल आवेदन–पत्र सहित (संलग्न)। (संलग्न 15 पत्र)
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर महानगर।
4. राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री गोविन्द नारायण मेठी की तुरन्त कार्यमुक्ति सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब निदेशालय को प्रेषित करावें।
5. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर (शहर)।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी), निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर को विभागीय वेबसाईट/पीआईएस कॉईन्स पर अपलोड करने हेतु।
8. श्री गोविन्द नारायण मेठी पुत्र श्री शंकर लाल मेठी, कार्यालय राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम, जयपुर।
9. निजी पत्रावली/वरिष्ठता सीट।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)

Scanned with CamScanner